



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z-661645

-3-

- 4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 270/1626 रकबा 0.110 हे० स्थित ग्राम- बरौना परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।
- 5. मापन की ईकाई - हेक्टेअर
- 6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.110 हेक्टेअर
- 7. सड़क की स्थिति - मुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
- 8. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि

जायकीश



A. सुनारजी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2061644

9. पेडी की तिथि - नहीं
10. बोरिंग / कुआँ जगह - कुछ भी नहीं है।

सौहार्दी खसरा नं० 270/1628

उत्तर : खसरा नं०-268/269

दक्षिण : खसरा नं०-274

पुर्व : नहर

पश्चिम : खसरा नं०-271



जग प्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 661643

-4-

प्रथम पक्ष की संख्या- १

द्वितीय पक्ष की संख्या- १

पक्ष का विवरण	पक्ष का विवरण
सुखरानी पत्नी श्री स्व० तुलसी निवाशिनी -ग्राम चौधरीखेड़ा, परगना बिजनौर तहसील जिला लखनऊ।	जय प्रकाश पुत्र राम किशुन निवासिनी दान- 3# रेवाडी, पसिया खेड़ा तहसील जालगाँज, जिला रायबरेली।
व्यवसाय-	व्यवसाय- कृषि



0. सुखरानी

जयप्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2 661647
05-12-2011

यह विक्रय विलेख सुखरानी पत्नी श्री स्व० तुलसी निवासिनी
ग्राम चौधरीखेड़ा, परगना बिजौरा तहसील ब जिला लखनऊ जिले
आगे विक्रेता कहा गया है (जिसके अन्तर्गत विक्रेता के विधिक
सहायकारियों, वारिष्ठान एवं निष्पादकगण सम्मिलित हैं)



नि. सु. खेड़ा

2011/11/27



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 806142

- 6 -

रूपम्

जय प्रकाश पुत्र राम किशुन निवासिनी ग्राम— 39 रेवाडी, मसिया
खेडा तहसील लालगंज, जिला रायबरेली जिन्हे अग्रे क्रेता कहा गया
है (जिसके अन्तर्गत क्रेता के विधिक उत्तराधिकारी मारिसान एवं
निष्पादकगण सम्मिलित हैं) के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 270/1628 रकबा 0.110 हे०
स्थित ग्राम— वरौना, पहगना विजनीर, तहसील म जिला लखनऊ का



जय प्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-2-

मालिक, कागिरी व काबिजा रु. तथा उपरोक्त सत्यापित फटवारीक
 सतीनी क्रम संख्या 00673 के अनुसार भूमि विक्रेता के भाग संकमणीय
 सुमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरमद
 राजस्व अभिलेखा में ही गया है। विक्रेता पैसे की सख्त आवश्यकता के
 कारण विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा
 विक्रय कर रहा है। यह कि विक्रेता को उक्त भूमि को विक्रय करने का
 पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक,


 अग्रणी

21/11/2017



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7-661637
 3-3-2014
 उत्तर प्रदेश

व्याजिल व क्वादिज है एव वर्तमान समाल मे उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरपलस भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग, पाग समाज, भूदान व पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिना, गिरवी या अनुवन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि


 (A. S. S. S.)

अपुकार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7,661,639
 15/11/72
 उत्तर प्रदेश न्यायालय
 काठमांडू

कनेइ ऐसा ळण भकिय मे निकलता डे सो उसके जिम्मेदार विकेता मे
 इउताके वारिसान मे विधिक उत्तराधिकारी हगे। उपरोक्त भूमि या
 उसका कोई नाम किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत
 विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि डे। विकेता के
 अलावा उक्त भूमि मे किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा
 इत्यादि नहीं है. एवं विकेता की उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण
 अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्ता समाहित के फलस्वरूप कुल विक्रय

हुसैन

आपुकाशी




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7.661638
15/11/71

- 10 -

मूल्य रु० 10,32,460/- (रु० दस लाख मत्तीस हजार चार सौ साठ मात्र) के प्रतिकल में जिसका उपरोक्त कंता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार सुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, उदानुसार उक्त विक्रेता उक्त कंता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि जिसका विवरण इस विक्रम विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेत दिया है, एवं विक्रेता ने



15/11/71

अभ्युक्त



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 415455

05 MAR 1978

विक्रमशुदा भूमि का बीका पर कब्जा फेला को बखुबी करस दिख गया है। अब उक्त आराजी पर विकेता तथा उसके पारिसान का कोई अधिकार नही है। विकेता ने विक्रमशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए फेला को हस्तान्तरित कर दिया है। अब फेला विक्रमशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व रूपरे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगा। विकेता व



(हस्ताक्षर)

21/3/78



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 415454
 05 MAR 2007
 [Faint circular stamp]

-12-

उसके वारिसान उसने किसी प्रकार की अज्ञापन भाषा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मान कर सकेंगे और यदि विकयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विकेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अज्ञान या कानूनी त्रुटि के कारण कंटा या उसके वारिसान निष्पादकमण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो कंटा उसके वारिसान, निष्पादकमण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्च विकेता की चल, अचल सम्पत्ति से


 श्री सुश्री

जायद्वारा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 666263

-13-

जारी अदालत मसूल कर लें। उस स्थिति में विकला एवं उसके परिवार हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विकला यह भी घोषित करते हैं कि तत्काल श्रमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश आहत एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अभिप्रेत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।



० कृष्णा

अज्ञानमुखा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 666242

-14-

यह कि फेता विक्रमपुरी सम्पत्ति की दायित्व खारिज राजस्व अभिलेखा में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रमपुरी की कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय तिलेख के पूर्व का उमर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता मुक्ताने व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खराद नाम वरना अर्द्धमशय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट लू

आपत्ति



अपत्ति



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 666261

- 15 -

27,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.110 हेक्टेयर की मालियत रु० 2,97,000/- होती है तथा विक्रय मूल्य भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 72,350/- जनरल स्टाम्प उदा किया जा रहा है। भूमि में कोई खंड इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग

अमित कुमार


9/11/2021



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 388620

- 16 -

य जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से ब
कमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय
विलेख के निबन्धन पर समस्त ज्ञात क्रेता द्वारा सहमति व्यक्त की है।

लिहकता यह विक्रय पत्र विक्रेता से क्रेता के पक्ष में बिना
किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समझ मवाहान लिख
दिया ताकि सनद रहे और वक्ता जरूरत पड़ने पर काम अर्पे।

जासुकाश


01/01/2013

पोलीस
कॉम्प्लेंट

Registration No: 5034

दिनांक

Year: 2012

Block No: 1

D101 सुखरानी

सुखरानी

राम जीर्णी लॉड एड. विंगरि, अजमेर

सुखरानी



परिशिष्ट भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू० 10,32,460/- द्वारा चेक संख्या- 428238
दिनांकित 22.03.2012 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ
कंता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू०
10,32,460/- (रू० दस लाख बत्तीस हजार चार सौ साठ
भात्र)कंता से प्राप्त हुए जिसकी प्रॉप्स विक्रेता स्वीकार करता है
तथा अब कोई भी धनशशि विक्रेता को कंता से लेना योग्य नहीं है।

लखनऊ

दिनांक : 22.03.2012

गवाह :-

1. राजेश कुमार
एडवोकेट
लखनऊ



विक्रेता

2. आशुतोष कुमार
एडवोकेट
लखनऊ



कंता

टाईपकर्ता

दीपक सहाय

(दीपक सहाय)
सिविल कोर्ट लखनऊ


मंसुविदाकर्ता

(विश्वेश्वर सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

ग्राम का नाम → लोरी - खरसा रहिया
कला → वनप्रकाश
विक्रेता → मधुपानी

27/10/25
 11.11.25

नखसा नखरी



मधुपानी
 विक्रेता

विक्रेता
 मधुपानी

आज दिनांक 22/03/2012 को

पृष्ठ सं 1 पृष्ठ सं 13958

पृष्ठ सं 213 से 248 पर क्रमांक 5034

विस्तृत किया गया।

संश्लेषक/अधिकांश के इलाका:



पी. के. धिल्ली

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

22/3/2012



संश्लेषक